**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1502**

**दिनांक 04.03.2020/ 14 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**निरोध शिविरों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सहायता**

**1502. प्रो॰ एम॰ वी॰ राजीव गौडाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार ने ईसाई, पारसी, जैन, सिख, बौद्ध या हिन्दू समुदायों से संबंधित लोगों को रिहा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं जिन्हें विदेशियों के रूप में घोषित कर निरोध शिविरों में रखा गया था;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या उपर्युक्त समुदायों से संबंधित लोगों की निरोध शिविरों में बंदी रहने के दौरान मौत के कोई मामले सामने आए हैं; और**

**(घ) क्या सरकार के पास निरोध शिविरों में रह रहे उन लोगों का चिकित्सा रिकॉर्ड है जो चिकित्सीय हालत गंभीर होने के कारण खतरे में हैं, और क्या उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नित्‍यानंद राय)**

(क) से (घ): विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ङ) और 3(2)(ग) के अंतर्गत केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को निरुद्ध (डिटेन) करने और उनके प्रत्यावर्तन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। केंद्र सरकार की ये शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत वर्ष 1958 से सभी राज्य सरकारों को भी सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्‍त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भी उपर्युक्त शक्तियों से संबंधित केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करने का निदेश दिया गया है। तद्नुसार, अवैध प्रवासियों को उन्‍हें स्‍वदेश में

**-2-**

**रा.स.अ.प्र.सं. 1502**

निर्वासन होने तक उनके आवागमन में प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी स्‍थानीय आवश्‍यकताओं के अनुसार, डिटेंशन केंद्र/कैम्‍प स्‍थापित किए जाते हैं। इन डिटेंशन केंद्रों में डिटेन किए गए ऐसे व्‍यक्तियों का ब्‍यौरा केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

तथापि, जनवरी, 2016 में केंद्र सरकार ने असम सरकार को सलाह दी थी, कि वे गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न न्यायालयी मामलों में कवर हुए सभी व्यक्तियों के मामलों की जांच करें और उन्हें डिटेंशन सेंटर से मुक्त करें, यदि वे केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2015 को जारी की गई दो अधिसूचनाओं की शर्तों और अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, जिनमें ऐसे व्यक्तियों को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा अथवा इसके अंतर्गत अथवा विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत बनाए गए नियम अथवा आदेश के लागू होने से छूट प्रदान की गई है।

रिट याचिका (सिविल) सं.1045/2018-सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी बनाम भारत संघ और अन्य में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.05.2019 के आदेश के अनुसरण में, असम सरकार ने दिनांक 29.07.2019 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें उन घोषित विदेशी राष्ट्रि‍कों को सशर्त मुक्त करने का प्रावधान किया गया है, जिन्होंने डिटेंशन सेंटर में 3 वर्षों से अधिक की अवधि पूरी कर ली है।

इसके अतिरिक्‍त, कोलैबोरेटिव नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड कैपिसिटी बिल्डिंग, गुवाहाटी द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) सं. 406/2013- के तहतकिए गएते आई.ए. सं. 105821/2018 में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के दिनांक 12.09.2018 और 20.09.2018 के आदेशों के अनुसरण में, सरकार ने जनवरी, 2019 में सभी राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को डिटेंशन सेंटर/होल्डिंग सेंटर/कैम्‍प पर एक आदर्श मैनुअल जारी किया है। इस मैनुअल के अंतर्गत डिटेंशन केंद्र में प्रवेश के समय विदेशी राष्ट्रिकों की संपूर्ण चिकित्‍सीय जांच करने, ऐसे विदेशी राष्ट्रिक के चिकित्‍सीय रिकॉर्ड का रख-रखाव करने और पर्याप्‍त चिकित्‍सा परिचर्या की व्यवस्था करने के प्रावधान किये गये हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*